


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 697] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, नवम्बर 28, 1991/अग्रहायण 7, 1913
No. 697] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 28, 1991/AGRAHAYANA 7, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

जल भूतल परिवहन मंत्रालय
(परिवहन पक्ष)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 1991

का.आ. 808(अ).—केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम 1988 (1988 का 59) की धारा 75 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, किराया टैक्सी स्कीम, 1989 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस स्कीम का नाम किराया टैक्सी (संशोधन) स्कीम, 1991 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. किराया टैक्सी स्कीम, 1989 में,—

(क) पैरा 2 के खंड (ग) में, “स्वयं” शब्द का लोप किया जाएगा।

(ख) पैरा 5 में—

(i) खंड (2) में “पर्याप्त आदृत स्थान” शब्दों के स्थान पर “पर्याप्त पार्किंग स्थान” शब्द रखे जाएंगे।

(ii) खंड (5) में “शाखा कार्यालय” शब्दों के स्थान पर “शाखा कार्यालय या उप-अनुज्ञप्तिधारी के कार्यालय” शब्द रखे जाएंगे।

(ग) पैरा 10 के खंड (2) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(3) यदि कोई भाड़े पर लेने वाला व्यक्ति ऐसी वांछा करता है तो वह ऐसे व्यक्ति को, जिसके पास विधिमाम्य चालन अनुज्ञप्ति है, भाड़ा करार की अवधि के दौरान इस प्रकार भाड़े पर लिए गए यान को चलाने के लिए नियुक्त कर सकेगा।”

[फा. सं. आर. टी. 11045/2/90 एम. बी. एल.]

जे. के. पिल्लै, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th November, 1991

S.O. 808(E).—In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 75 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1958), the Central Government hereby makes the following amendment to the Rent-a-Cab Scheme, 1989, namely :—

(1) This scheme may be called ‘Rent-a-Cab’ (Amendment) Scheme, 1991.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Rent-a-Cab Scheme, 1989—

(a) in clause (c) of paragraph 2, the word “themselves” shall be omitted.

(b) in paragraph 5—

(i) In clause (ii) for the words “sufficient covered space” the words “adequate parking space” shall be substituted.

(ii) In clause (v) for the words “branch offices” the words “branch offices or sublicensee offices” shall be substituted.

(c) after clause (2) of paragraph 10, the following clause shall be inserted, namely :—

“(3) If a hirer so desires, he may engage a person possessing a valid driving licence to drive the vehicle so hired during the period of the hire agreement.”

[F No. PT-11045/2/90 MVL]

G. K. PILLAI, Jt. Secy.